भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4504

19 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृत योजना के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति

†**4504. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 ने सभी शहरी नागरिकों को स्वच्छ जल तक पहुंच प्रदान करने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान शहरी मलिन बस्तियों के परिवारों को नल के पानी के नए कनेक्शन प्रदान करने और सीवरेज तथा सेप्टेज कनेक्शन के कवरेज में हुई वृद्धि का, विशेषकर अरणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले चार वर्षों के दौरान तमिलनाडु में अमृत 2.0 के अंतर्गत अनुमोदित पार्कों और हरित क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तमिलनाडु में उक्त मिशन के प्रारंभ से सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन और जल निकाय कायाकल्प परियोजनाओं पर खर्च की गई निधियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): जल और स्वच्छता राज्य का विषय है; तथा शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल की उपलब्धता सहित जल का प्रबंधन राज्य सरकारों और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार योजनागत हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह अटल

नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)/ अमृत 2.0 जैसे विभिन्न मिशनों/योजनाओं के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

अमृत 2.0 को 01 अक्टूबर 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/ शहरों में शुरू किया गया है, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकें। 500 अमृत शहरों में सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख कार्य क्षेत्रों में से एक है। जलाशयों का पुनरूद्धार, हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकास मिशन के अन्य घटक हैं।

अमृत 2.0 दिशा-निर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रदूषण जोखिम को कम करने के लिए पुराने इन्फ्रास्ट्रक्चर, संवेदनशील क्रॉसिंग और दबाव-प्रबंधित प्रणालियों के प्रतिस्थापन की भी अनुमति देते हैं। इसके अतिरिक्त, अमृत 2.0 मिशन गुणवत्ता आश्वासन के साथ 24x7 जल आपूर्ति, चयनित जिला मीटर्ड क्षेत्रों (डीएमए)/वार्डों में ड्रिंक फ्रॉम टैप (डीएफटी) गुणवत्ता का जल, ऑनलाइन जल गुणवत्ता निगरानी, सेंसर और सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (स्काडा), जल गुणवत्ता परीक्षण में, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्य जल कार्य योजना के तहत अब तक 1,19,670.51 करोड़ रुपये की 3,531 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 65,624.98 करोड़ रुपये की 584 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ तथा 6,083.32 करोड़ रुपये की 2,991 जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाएँ और 1,103.71 करोड़ रुपये की 1,665 हरित क्षेत्र एवं पार्क परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत 178 लाख नए जल नल कनेक्शन, 65 लाख नए सीवर कनेक्शन, 11,395 एमएलडी जल शोधन संयंत्र क्षमता तथा 6,649 एमएलडी सीवरेज शोधन क्षमता का विकास शामिल है।

अमृत/ अमृत 2.0 के माध्यम से तथा राज्यों के साथ तालमेल द्वारा अब तक शहरी क्षेत्रों में 246 लाख जल नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और 182 लाख सीवर कनेक्शन (जिसमें फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट (एफएसएसएण) के अंतर्गत शामिल परिवार भी सम्मिलित हैं) अमृत/ अमृत 2.0 के माध्यम से तथा अमृत शहरों के साथ तालमेल द्वारा प्रदान किए गए हैं। 93,457.51 किमी जल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया/ प्रतिस्थापित किया गया है तथा 26,995.61 किमी सीवर नेटवर्क बिछाया/ प्रतिस्थापित किया गया है।

अमृत के अंतर्गत 258 जल आपूर्ति योजनाओं में स्काडा प्रणाली जैसे स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम हैं तथा अमृत 2.0 के अंतर्गत 1,422 जल आपूर्ति परियोजनाओं में स्काडा प्रणाली का प्रावधान

है। मिशन अवैध कनेक्शनों को कम करने के लिए कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर बल देता है। मिशन में अंतिम परिवार तक जल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रति कनेक्शन 3,000 रुपये का प्रावधान है। मिशन रखरखाव प्रणालियों को सुदृढ़ करने, डिजिटल मॉनिटरिंग, ऊर्जा दक्षता आदि के लिए स्मार्ट तत्वों, फ्लो मीटर, प्रेशर वाल्व आदि के उपयोग पर बल देता करता है।

सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए राज्यों ने डीएफटी परियोजनाएँ शुरू की हैं और राज्यों को प्रत्येक अमृत शहर के भीतर एक डीएमए या वार्ड में कम से कम एक डीएफटी परियोजना लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अमृत 2.0 के अंतर्गत 348 शहरी स्थानीय निकायों में 1,153 डीएमए सहित 407 परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं, जिनसे 16.72 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

तमिलनाडु राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अरानी लोकसभा क्षेत्र में अमृत 2.0 के अंतर्गत गिंजी नगर पंचायत में 6862 परिवारों को कवर करने हेतु 5077 नए जल नल कनेक्शनों के साथ एक जल आपूर्ति परियोजना शुरू की गई है। इसका भौतिक कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अरानी लोकसभा क्षेत्र में अमृत 2.0 के अंतर्गत कोई सीवरेज और सेप्टेज परियोजना शुरू नहीं की गई है।

(ग) अमृत 2.0 के अंतर्गत तमिलनाडु के राज्य जल कार्य योजनाओं में 561 हरित क्षेत्र और पार्क परियोजनाएँ जिनकी लागत 112.97 करोड़ रुपये हैं, अनुमोदित की गई हैं। राज्य ने सूचित किया है कि अब तक 160.65 करोड़ रुपये की कुल लागत से 558 परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

(घ) अमृत 2.0 के अंतर्गत, तमिलनाडु की राज्य जल कार्य योजनाओं में 6,623.40 करोड़ रुपये की 30 सीवरेज/ सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ तथा 225.83 करोड़ रुपये की 467 जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं।

अमृत 2.0 के अंतर्गत निधियाँ/ मूल स्वीकृति राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है, न कि घटक/शहरी स्थानीय निकाय वार। तथापि, राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं पर सीवरेज क्षेत्र में कुल 1491.77 करोड़ रुपये तथा जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाओं में कुल 109.91 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। राज्य द्वारा सूचित जिला-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

"अमृत योजना के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति" के संबंध में 19 मार्च, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4504 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

तमिलनाडु राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं और जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाओं पर अमृत 2.0 के तहत खर्च की गई निधि (28.02.2026 तक)

क्र. सं.	जिला	सीवरेज/सेप्टेज परियोजनाएं (करोड़ रु. में)	जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाएं (करोड़ रु. में)
1	अरियालुर		1.64
2	चेंगलपट्टू		5.36
3	चेन्नई	797.84	1.99
4	कोयंबटूर	210.17	3.18
5	कुड्डालोर		3.96
6	धर्मपुरी		0.49
7	डिंडीगुल		3.37
8	इरोड़		2.14
9	कल्लाकुरिची		2.46
10	कांचीपुरम		2.85
11	कन्याकुमारी		6.31
12	करूर		0.68
13	कृष्णागिरी	74.81	1.36
14	मदुरै	20.00	2.13
15	मयिलादुथुराई		2.66

क्र. सं.	जिला	सीवरेज/सेप्टेज परियोजनाएं (करोड़ रु. में)	जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाएं (करोड़ रु. में)
16	नागपट्टिनम		1.49
17	नमक्कल		2.41
18	पेरम्बलूर		0.76
19	पुडुकोट्टई	5.50	4.23
20	रामनाथपुरम		4.52
21	रानीपेट		4.06
22	सलेम	60.52	2.85
23	शिवगंगई	2.00	7.35
24	तेनकासी		1.90
25	तंजावुर		3.82
26	नीलगिरी		0.82
27	थेनी		1.41
28	तिरुपथुर		1.30
29	तिरुवल्लूर	22.87	3.75
30	तिरुवन्नामलाई	4.31	2.93
31	तिरुवरूर		1.84
32	थूथुकुडी	79.43	2.40
33	तिरुचिरापल्ली	140.34	4.53
34	तिरुनेलवेली		3.26
35	तिरुपुर	73.99	3.82

क्र. सं.	जिला	सीवरेज/सेप्टेज परियोजनाएं (करोड़ रु. में)	जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाएं (करोड़ रु. में)
36	वेल्लोर		3.64
37	विल्लुपुरम		3.20
38	विरुधुनगर		3.06
	कुल	**1491.77**	**109.90**